संख्या– 807 / XV-1 / 11 / 1(3) / 08

प्रेषक,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त,
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

✓निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पशुपालन अनुभाग–1 **देहरादून : दिनांक 07 अक्टूबर, 2011**

विषयः निराश्रित गोवंश को शरण देने हेतु मान्यता प्राप्त गोसदनों को राजकीय अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु दिशा–निर्देश नीति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून के पत्र संख्या–346–349 / Ukd.AWB(78-Dry Dairy)/2011-12 दिनांक 21 अप्रैल, 211 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय राज्य में निराश्रित, वृद्ध, बीमार तथा अनुत्पादक गोवंशीय पशुओं को शरण देने के उद्देश्य से गोसदनों की स्थापना हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–759 / XV-1 / 1(3) / 2008 दिनांक 16 दिसम्बर, 2008 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. संस्था निर्धारित सीमा के भीतर, गोसदन में मा० न्यायालयों में विधिक प्रकरणाधीन केस प्रॉपर्टी गोवंश को स्वीकार करने हेतु बाध्य तथा बचनबद्ध होगी।

2. न्यूनतम 50 निराश्रित तथा केस प्रॉपर्टी गोवंशीय पशुओं को शरण देने वाली संस्थाओं के प्रकरण ही विचारणीय होंगे।

3. गोसदनों की स्थापना हेतु उपलब्ध बजट का अधिकाधिक सदुपयोग एवं कम से कम लागत में भी अधिकाधिक निराश्रित गोवंशीय पशुओं को शरण सुनिश्चित करने हेतु स्थायी निर्माण की बाध्यता को समाप्त करते हुए अस्थायी निर्माण (टिन शेड्स) हेतु ही सहायता अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

   अधिकतम स्वीकार्य अनुदान धनराशि का निर्धारण आवेदक संस्था में शरणागत गोवंश की संख्या के आधार पर :–

   1. संस्थाओं को गोवंश की संख्या के आधार पर, आर्किटैक्ट द्वारा गो सदनों के निम्न छः वर्गो में मानक मानचित्र (Standard Design) एवं मानक आंगणन (Stantard Estimate) तैयार करा लिये जांये। उक्त मानक मानचित्र तथा मानक आंगणन लोक निर्माण विभाग की स्वीकृत दरों से कम दरों पर ही तैयार किये जायें :–

   क. मैदानी क्षेत्र में 50 गोवंशीय पशुओं को शरण देने की क्षमता वाला गोसदन।

ख. मैदानी क्षेत्र में 100 गोवंशीय पशुओं को शरण देने की क्षमता वाला गोसदन।
ग. मैदानी क्षेत्र में 200 गोवंशीय पशुओं को शरण देने की क्षमता वाले गोसदन।
घ. पर्वतीय क्षेत्र में 50 गोवंशीय पशुओं को शरण देने की क्षमता वाले गोसदन।
च. पर्वतीय क्षेत्र में 100 गोवंशीय पशुओं को शरण देने की क्षमता वाले गोसदन।
छ. पर्वतीय क्षेत्र में 200 गोवंशीय पशुओं को शरण देने की क्षमता वाले गोसदन।

2. वर्तमान समय में 50 से 100 गोवंशीय पशुओं को शरण देने वाली आवेदक संस्थाओं को प्रथम चरण में 50 गोवंशीय पशुओं की क्षमता वाले गोसदन की स्थापना हेतु ही राजकीय सहायता अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। 101 से 150 गोवंशीय पशुओं को शरण देने वाली आवेदक संस्थाओं को प्रथम चरण में 100 गोवंशीय पशुओं की क्षमता वाले गोसदन कीं स्थापना हेतु ही राजकीय सहायता अनुदान स्वीकृत किया जायेगा। 151 से अधिक गोवंशीय पशुओं को शरण देने वाली आवेदक संस्थाओं को प्रथम चरण में 200 गोवंशीय पशुओं की क्षमता वाले गोसदन की स्थापना हेतु ही अनुदान स्वीकृत किया जायेगा।

3. प्रतिवर्ष गो सदनों के सभी छः वर्गों हेतु, मान्यता प्राप्त आर्किटैक्ट द्वारा लोक निर्माण विभाग की दरों पर तैयार कराये गये मानक मानचित्र (Standard Design) एवं मानक आंगणन (Standard Estimate) उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग/टी०ए०सी० से परीक्षण कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग द्वारा मानक मानचित्रों (Standard Design) एवं मानक आंगणनों (Standard Estimates) पर सहमति के उपरान्त ही, आवेदक संस्था को स्थान (पर्वतीय अथवा मैदानी क्षेत्र) तथा गोसदन की क्षमता के अनुरूप ही मानक अनुदान धनराशि (Standard Grant in Aid) स्वीकृत की जाये।

5. आवेदक संस्था को, वित्त विभाग द्वारा मानक मानचित्रों (Standard Design) एवं मानक आंगणनों (Standard Estimates) की स्वीकृति उपरान्त, लोक निर्माण विभाग की दरों के अनुरूप प्रस्तुत मानक आंगणन का अधिकतम 60 प्रतिशत अनुदान ही देय होगा। इस क्रम में शासनादेश सं०–759/XV-1/1(3)/2008 दिनांक 16, दिसम्बर 2008 के बिन्दु 11 के अनुरूप, राजकीय सहायता अनुदान धनराशि की स्वीकृति हेतु मा० पशुपालन मंत्री जी अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय चयन समिति की संस्तुति के उपरान्त संबंधित संस्था को धनराशि वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत की जायेगी।

6. मान्यता प्रदत्त गोसदनों में गोवंश के भरण पोषण हेतु अधिकतम ₹ 1.00 लाख राजकीय सहायता अनुदान प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश संख्या 392/XV-1/7(81)/2005 दिनांक 23 मार्च, 2011 द्वारा निर्णय लिया जा चुका है।

7. आवेदक संस्था के द्वारा निर्माण कार्य सहायता अनुदान धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त एक वर्ष के अन्दर पूर्ण करा लिया जायेगा।

8. सम्बन्धित जनपद के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, आवेदक पशु कल्याण संस्था द्वारा शपथ पत्र हस्ताक्षरित करा देने के उपरान्त निम्नानुसार तीन किस्तों में अनुदान की धनराशि निर्गत करेंगे :–

प्रथम किस्त	कुल स्वीकृत अनुदान का 20 प्रतिशत	अग्रिम अनुदान के रूप में।

द्वितीय किस्त	कुल स्वीकृत अनुदान का 50 प्रतिशत	गो सदन स्थल पर समस्त निर्माण सामग्री पहुंचा दिये जाने के उपरान्त, आर्किटेक्ट द्वारा स्थलीय रिपोर्ट तथा मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरान्त।
तृतीय किस्त	कुल स्वीकृत अनुदान का 30 प्रतिशत	आवेदक संस्था द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण कर दिये जाने पर आर्किटेक्ट द्वारा फाइनल एम०बी० निर्गत कर दिये जाने तथा मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापन के उपरान्त। तृतीय किस्त निर्गत करने के उपरान्त शीघ्रातिशीघ्र आवेदक पशु कल्याण संस्था तथा आर्किटेक्ट से उपयोगिता प्रमाण पत्र ले लिया जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी, पशुपालन निदेशालय, देहरादून को अनुमोदन सहित अग्रसारित किया जायेगा।

9. निर्माण कार्य पूर्ण होने की दशा में आवेदक संस्था को निम्न अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे :–
   (1) स्वीकृत आंगणन के अनुरूप ही निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के क्रम में मान्यताप्राप्त आर्किटेक्ट का एम०बी० प्रमाण पत्र।
   (2) निर्माण कार्यों पर हुए व्यय अभिलेखों का चार्टेड अकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षण प्रमाण पत्र।

10. यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त
वन एवं ग्राम्य विकास शाखा

संख्या– (1)/XV-1/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. निजी सचिव, मा० पशुपालन मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र के सन्दर्भ में।
7. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दमयन्ती दोहरे)
अपर सचिव